Unforgettable Himachal

HIMACHAL TOURISM
कभी भुला न पाओगे

<u>हर गांव की कहानी</u>

भूमिका :–

अलौकिक भौगोलिकता तथा नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण हिमाचल प्रदेश पर्यटन की परिणति का पर्याय है। सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में मौजूद पर्यटन क्षमता के दोहन के लिए राज्य सरकार ने नई पर्यटन योजना– **'हर गांव की कहानी'** शुरू की है। योजना का उद्देश्य पर्यटन में विविधता लाना तथा प्रदेश में पर्यटकों के ठहराव में वृद्धि करना है। हर वर्ष प्रदेश के विभिन्न पर्यटक स्थलों में राज्य की आबादी से कहीं अधिक संख्या में पर्यटक भ्रमण कर रहे हैं। पर्यटकों की इस संख्या को ध्यान में रखकर पर्यटन में एक नयापन लाने और गावों में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस योजना की शुरूआत की जा रही है, ताकि वर्ष भर प्रदेश में पर्यटन का आकर्षण बना रहे। गांव की रोचक जानकारियों से पर्यटकों में उस क्षेत्र का भ्रमण करने की रूचि बढ़ेगी, जिसका लाभ प्रदेश को मिलेगा।

उद्देश्यः–

योजना का मुख्य उद्देश्य पर्यटन की दृष्टि से उपयुक्त गांव को पर्यटन आकर्षण के अनुसार विकसित किया जाएगा तथा वहां पर्यटकों के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। वैसे तो इस पर्वतीय प्रदेश के हर गांव का अपना इतिहास, समृद्ध संस्कृति, रीति–रिवाज, परंपराएं, रहन–सहन और खान–पान में भिन्नता एवं विशेषता है। लेकिन इस अनूठी योजना के अन्तर्गत गांव की ऐतिहासिक घटनाएं, कहानियां, धरोहरों की विशेषता, देवी–देवताओं की कथाएं, प्रचलित धार्मिक मान्यताएं, रोचक प्रसंग, स्थानीय रीति–रिवाज, खान–पान के तरीके, शादी व त्यौहारों

के अवसर पर निभाए जाने वाली रस्में–रिवाज इत्यादि को कहानियों के माध्यम से पर्यटकों के लिए एक विशेष आकर्षण बनाया जाएगा।

ऐसी प्रचलित कथाएं, किस्से **'हर गांव की कहानी'** योजना के अन्तर्गत एक दस्तावेज के रूप में संग्रहित करके प्रचारित–प्रसारित किए जाएंगे। ऐसी प्रचलित कहानियां–किस्से, घटनाएं आदि संबंधित पंचायतें सीधे तौर पर जिलाधीश महोदय के कार्यालय अथवा संबंधित जिला पर्यटन विकास अधिकारी के कार्यालय को भेज सकते हैं।

यदि गांव की कहानी ऐतिहासिक होने के साथ–साथ रोचक भी है तो पर्यटकों को उस गांव में आकर्षित करने में मदद मिलेगी। पर्यटकों का आकर्षण बनाए रखने के लिए गांव को **'पर्यटक गांव'** के रूप में विकसित किया जाएगा। गांव में आधारभूत सुविधाओं के लिए पर्यटन विभाग एक से अधिक माध्यमों से सहयोग करेगा। गांव में मनरेगा के तहत पर्यटकों की सहूलियत के लिए रास्तों का सुधार, पानी की बावड़ियों का रख–रखाव, जल संवर्धन इत्यादि गतिविधियां शामिल होंगी क्योंकि यह प्रत्येक गांववासी का अपना कार्यक्रम है तथा इसमें हरेक हिमाचली की भागीदारी अपेक्षित है।

गांव में जब पर्यटक पहुंचेंगे तो उस क्षेत्र के लोगों को स्वरोजगार के साधन भी मिल सकेंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। गांव का शांत एवं स्वच्छ वातावरण सभी प्रकार के पर्यटकों को आकर्षित करता है। पर्यावरण संरक्षण में ग्रामीण अहम भूमिका निभाते हैं। पेड़–पौधों की रक्षा तथा अपनी संस्कृति का संरक्षण ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बखूबी करते हैं। **'अतिथि देवो भवः'** का असली अनुभव गांव में ही प्राप्त होता है।

कार्यान्वयन की प्रक्रियाः

1. **'हर गांव की कहानी'** योजना के संचालन के लिए जिलाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी, जिसमें जिला पर्यटन

विकास अधिकारी, जिला भाषा अधिकारी, जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी तथा अन्य कोई सदस्य (गैर सरकारी) को शामिल किया जाएगा। कमेटी जिलाधीश द्वारा अधिसूचित की जाएगी। योजना पूरे प्रदेश में लागू होगी, ताकि पूरे प्रदेश में पर्यटन को एक नई दिशा दी जा सके। योजना के व्यापक प्रचार/प्रसार के लिये प्रचार सामग्री पंचायतों तक पहुँचाई जाएगी। इसके अलावा सम्बन्धित जिलों के लोक सम्पर्क अधिकारी विभिन्न जागरूगता अभियानों के तहत **'हर गांव की कहानी'** योजना के बारे में लागों को अवगत करवाएंगे। गांववासी कहानियों को अपने प्रधान के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधीश कार्यालय में भेजेंगे।

2. पर्यटक स्थलों को विकसित करने के लिए जिन–जिन मदों पर कार्य अपेक्षित है, उन्हें मनरेगा के तहत कार्यान्वित करवाया जा सकता है।

3. पर्यटन विभाग पर्यटन स्थल को पूरी तरह से विकसित करने हेतु जो भी आवश्यक होगा, उसे सम्भव बनाएगा।

4. विभिन्न गांव में विकसित पर्यटक स्थलों के रखरखाव की जिम्मेदारी व मल्कियत, सम्बन्धित गांव की ही रहेगी। दो या अन्य पर्यटक स्थलों के साथ जोड़ने के लिए पर्यटन विभाग अन्य सम्बन्धित विभागों के साथ समन्वय करेगा।

5. इस योजना में स्थानीय आवश्यकताओं के साथ फेरबदल किया जा सकता है तथा समय–समय पर **'हर गांव की कहानी'** के अन्तर्गत मिलने वाली कहानियों का रोचकता तथा सम्बन्धित बिन्दुओं पर आकलन किया जाएगा। पर्यटक स्थलों की अधोसंरचना को और सुदृढ़ करने के लिए आकर्षक पुरस्कार राशि का भी प्रावधान किया जाएगा।